संपादकीय

धर्म का अमानवीय ढांचा भारी पाखंड से भरा होता है

हिन्दू साधुओं के सेक्स कांड पर आज यहां विश्व हिन्दू परिषद के नेता डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि यह हिन्दुओं को बदनाम करने की साजिश है और किसी पादरी के खिलाफ सीडी क्यों नहीं आती? उनका तर्क इसलिए गलत है कि न सिर्फ ईसाई दुनिया में बल्कि भारत के कई चर्चों में पादरियों द्वारा बच्चों के यौन शोषण के मामले लगातार सामने आते हैं और उनके कुछ दूसरे सेक्स कांड भी पिछले दिनों खबरों में आए। कुछ दिन पहले ही हमने पहले पेज पर यह खबर छापी थी कि बच्चों के देह शोषण के आरोपी पादरियों को बचाने के आरोपों से पोप किस बुरी तरह घिर गए हैं। आज ही एक खबर अमरीका के प्रमुख टीवी चैनल सीएनएन पर है कि कैथोलिक चर्च लगातार अपने भीतर के सेक्स स्कैंडलों से जूझ रहा है और अभी पोप ने यह कहा है कि वे आयरलैंड में हुए ऐसे एक स्कैंडल पर अपना बयान लिखकर पूरा कर चुके हैं। कैथोलिक धर्म के एक बड़े जाने-माने विद्वान ने अभी यह कहा है कि अगर चर्च के ढांचे में महिलाओं का स्थान बढ़ाया गया होता तो ऐसी नौबत आने से बचा जा सकता था। उसका कहना है कि आंकड़े यह बताते हैं कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले यौन शोषण कम करती हैं और अपने ऊपर होने वाली ऐसी ज्यादती की शिकायत करने में आगे रहती हैं। इसी बहस के दौरान ईसाई स्कूलों में बच्चों के यौन शोषण के बहुत से मामलों पर चर्चा छिड़ी है। लेकिन इसके बारे में हम इस समाचार को अलग से छाप रहे हैं इसलिए उसके बहुत अधिक विवरण यहां लिखना जरूरी नहीं है।

यौन शोषण के मामले किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। अभी तक ऐसे कोई सुबूत सामने नहीं आए हैं कि किसी धर्म की सोच, उस धर्म का चाल-चलन लोगों को नैतिक या अनैतिक कहे जाने वाले देह-संबंधों से रोकने में काम आते हों। इसलिए अगर हिन्दुस्तान में बाबाओं के सेक्स कांड चर्चा में अधिक हैं तो उसकी एक वजह यह भी है कि यहां हिन्दू आबादी अधिक है और बाबा गली-गली में बिखरे हुए हैं। किसी धर्म में अगर देह शोषण की शिकायतें कम आती हैं तो उसे हम वहां पर कम शोषण नहीं समझते बल्कि हमारा यह मानना है कि वहां धर्म के आतंक के चलते शिकायत का हौसला ही लोगों में कम होता होगा। दरअसल ब्रम्हचर्य की सारी धारणा अमानवीय है। कुछ लोगों दुनिया में ऐसे जरूर हो सकते हैं जो सामने नाच रही मेनका को भी अनदेखा करके ध्यान में डूबे रहें। लेकिन धर्म का ढांचा किसी के आत्मनियंत्रण के ऐसे आसमान पर पहुंच जाने के बाद ही उसे जगह देता हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। आज तो इस देश में कोई भी व्यक्ति भगवा कपड़े डालकर, जटा बढ़ाकर, भभूत पोतकर, कमंडल और रूद्राक्ष जैसे कुछ औजार लेकर, गांजा पीकर या बिल्कुल ही बिना कपड़ों के केवल भभूत पहनकर साधू बन सकता है। उसके लिए न तो कोई आचारसंहिता है और न ही उस पर काबू करने के लिए धर्म का कोई ढांचा है। कोई भी अपने नाम के साथ कई किस्म के विशेषण लगा सकता है और जहां चाहे वहां अवैध कब्जा करके, अवैध निर्माण करके आश्रम बना सकता है। ऐसे में हिन्दू साधू कहे जाने वाले ऐसे लोगों के बीच अराजकता अधिक होना तय है और छत्तीसगढ़ में दो-तीन बरस पहले राजिम-कुंभ की तैयारियां जब चली रही थीं और बड़ी संख्या में ऐसे हुलिए वाले साधुओं को जुटाने के लिए मेहनत की जा रही थी तब उत्तर भारत से एक सप्लायर ने संस्कृति विभाग को एक चिट्ठी भेजी थी कि वह कितने रुपए रोज में कितने साधुओं को सप्लाई कर सकता है।

हिन्दू धर्म के मुकाबले ईसाई धर्म में प्रशासनिक ढांचा कुछ अधिक कड़ा है और वहां कोई भी व्यक्ति मनचाहा आश्रम बनाकर दुकानदारी नहीं कर पाता। वहां चर्च तनख्वाह पर पादरियों को तैनात करता है और वे चर्च के कर्मचारियों की तरह काम करते हैं। कम से कम भारत में स्वायत्तशासी ईसाई बाबा जैसी कोई चीज देखने नहीं मिलती। लेकिन एक संगठित धर्म के रूप में भारत में भी ईसाई स्कूलें और उनके छात्रावास अधिक संख्या में हैं इसलिए वहां पर असर रखने वाले जुड़े हुए चर्चों के पादरी या दूसरे कर्मचारी बच्चों के शोषण के मामलों में अधिक शामिल दिखते हैं। इनके मुकाबले किसी और धर्म के इतने हॉस्टल भारत में हैं ही नहीं, इसलिए हिन्दुओं के अधिक कांड अपनी-अपनी मनमर्जी के बाबाओं के अधिक सामने आते हैं।

किसी भी धर्म का यह विशेषाधिकार है कि वह कितना अमानवीय बने रहना चाहता है। चूंकि धर्म की और बहुत सी अमानवीयता रोजाना सामने आती है इसलिए अपने लोगों से धर्म-प्रचार के वक्त अगर धर्म ब्रम्हचर्य की उम्मीद करता है तो यह उसकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन हमारा मानना है कि जब तक धर्म का ढांचा लोगों को प्राकृतिक शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हुए नहीं रहने देगा तब तक इंसानी तन और मन नैतिक और अनैतिक संबंधों, आपसी सहमति के या बलपूर्वक बनाए गए यौन संबंधों के रास्ते निकालते ही रहेंगे। हमारे हिसाब से धर्म की व्यवस्था इंसान के शरीर के बनने के करोड़ों बरस बाद शुरू हुई और इंसान की शारीरिक जरूरतों को दबाने की कोई आसान तकनीक धर्म विकसित नहीं कर पाया। इसलिए उसके लोग जगह-जगह और तरह-तरह से सेक्स-संबंधों में लगे रहते हैं। फिर दिल्ली में पिछले दिनों पकड़ाए बाबा भीमानंद ने तो कमाल ही कर दिया। उसने पूरे देश में सौ दलालों और हजार वेश्याओं को मिलाकर देश का शायद सबसे बड़ा सेक्स रैकेट सफलता से बरसों तक चलाया। अब अगर ऐसे सुबूतों के साथ वह पकड़ाया है तो धर्मनिरपेक्षता के लिए उसके मुकाबले किसी और ईसाई या मुसलमान का नाम तो उठाया नहीं जा सकता। अगर ऐसी खूबी के साथ एक भगवा बाबा ने यह व्यापार खड़ा किया है तो इस पर पड़े छापे के बाद भगवा नाम की ही तो चर्चा होगी। अगर कर्नाटक का कोई बाबा किसी तमिल अभिनेत्री के साथ बिस्तर पर देहसुख पाते दिखता है और उसके करीबी लोग भी उसकी रिकॉर्डिंग करके बाजार में लाते हैं तो यह एकाधिकार तो हिन्दुओं का ही है, इसमें दूसरे धर्म को कैसे जोड़ा जा सकता है। हर धर्म के भांडाफोड़ के अपने-अपने मौके रहते हैं और लोग दूसरे धर्मों का भी मजा ले सकते हैं और चाहे तो अपने धर्म के सेक्स कांड देख-सुनकर सावधान भी हो सकते हैं। जो नास्तिक लोग होते हैं वे सबसे अधिक सुखी रहते हैं और वे हर धर्म के सेक्स स्कैंडल देख-सुनकर यह तसल्ली पा सकते हैं कि वे उनमें से किसी धर्म का हिस्सा नहीं हैं। जिन लोगों का धर्म से लेना-देना है वे यह समझें कि प्रकृति की जरूरतों के खिलाफ बनाया गया धर्म का अमानवीय ढांचा भारी पाखंड से भरा होता है और धर्म के पत्थर उठाकर देखें तो उसके नीचे लगभग हर जगह जहरीले बिच्छू मिलेंगे।

नाभिकीय जवाबदारी बिल :खेल सब्सीडी का

■ प्रबीर पुरकायस्थ

कांग्रेस के नेतृत्ववाली यूपीए सरकार ने ऐसे 36 विधेयकों की सूची पेश की है जो वह बजट सत्र में ही संसद से पारित कराना चाहती है। इस सूची में नाभिकीय जवाबदारी कानून भी शामिल है। यह भारत-अमरीका नाभिकीय सौदे की दु:खद महागाथा का एक और अध्याय है। प्रस्तावित विधेयक का केंद्रीय पहलू है, तमाम अमरीकी उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को हर प्रकार की जवाबदारी से बरी करना। इसके बिना, अमरीकी नाभिकीय उपकरण आपूर्तिकर्ता हमारे देश के लिए किसी उपकरण की आपूर्ति नहीं करेंगे और इसलिए अमरीकी सरकार ने, भारत-अमरीका नाभिकीय सौदे पर आगे की हरेक कार्रवाई को फिलहाल रोका हुआ है। याद रहे कि फ्रांसीसी व रूसी उपकरण आपूर्तिकर्ताओं ने जवाबदारी से इस तरह की किसी छूट की मांग नहीं की है, फिर भी मनमोहन सिंह की सरकार ने अमरीकी दबाव के सामने घुटने टेक दिए हैं और वह अब अमरीकी आपूर्तिकर्ताओं को जवाबदारी से मुक्त कराने के उक्त विधेयक पारित कराने पर तुली हुई है।

प्रधानमंत्री ने संसद में अपने विभिन्न भाषणों में बार-बार कहा है कि भारत-अमरीका नाभिकीय सौदा भारत के लिए दुहरे-उपयोग वाली तमाम प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति पर लगी पाबंदियों का उठाया जाना सुनिश्चित करता है और इस्तेमालशुदा नाभिकीय ईंधन के पुर्नशोधन की सीधे-सीधे इजाजत देता है। लेकिन सचाई, जैसाकि अब स्पष्ट ही है, इससे बहुत भिन्न है। न्यूजवीक पत्रिका के साथ एक भेंटवार्ता में (16 नवंबर 2009) प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, ''मैं ईमानदारी से इसकी उम्मीद करता हूं कि हम अमरीकी प्रशासन को इसके लिए राजी कर लेंगे कि हमारे लिए दुहरे उपयोगवाली प्रौद्योगिकियों के हस्तांरण के मामले में वह कहीं उदारता दिखाए। अब जबकि हम रणनीतिक साझीदार बन चुके हैं, इन पाबंदियों की कोई तुक नहीं बनती है...इसलिए, यह मेरी अव्वल नंबर की चिंता है।''

नाभिकीय ईंधन का पुर्नशोधन का अधिकार, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। इसकी अनुमति के बिना भारत को एक बार फिर पहले के तारापुर प्रकरण जैसी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकरण में भारत को अपने रिएक्टरों के लिए ईंधन हासिल करने के लिए मारा-मारा फिरना पड़ रहा था, जबकि उसी संयंत्र का इस्तेमालशुदा ईंधन भारी खर्चा कर के दशकों तक सुरक्षित तालाबों में रखना पड़ा। याद रहे कि मनमोहन सिंह ने 2007 में संसद को बताया था कि, ''भारत को पुनर्शोधन के लिए स्थायी सहमति देने के जरिए, एक महत्वपूर्ण मानक को पूरा कर दिया गया है।''

दूसरी ओर वामपंथ शुरू से कह रहा था कि 1,2,3 समझौता किसी भी तरह से ईंधन के पुनर्शोधन की इजाजत नहीं देता है और ऐसे किसी भी कदम के लिए अलग से अमरीका का अनुमोदन हासिल करना होगा। अमरीकी पक्ष ने अब इतना तो साफ कर ही दिया है कि भारत को पुनर्शोधन की स्थायी रूप से इजाजत देने का उनका कोई इरादा नहीं है। पिछले साल प्रधानमंत्री जब अमरीका की यात्रा पर गये थे, उस समय यह एलान किया गया था कि ईंधन के पुनर्शोधन की इजाजत, चंद हफ्तों में ही मिल जाएगी। अब तक वह इजाजत हासिल नहीं हुई है।

अमरीकी रिएक्टरों के लिए भारतीय सब्सीडी

अब ऐसा लग रहा है कि यह सब भारत से नाभिकीय जवाबदारी कानून पारित कराए जाने से जुड़ा हुआ है। जहां तक अमरीकी पक्ष का सवाल है, बुश प्रशासन की विदेश सचिव, कोंडालिज्जा राइस ने नाभिकीय सौदे में अमरीका की दिलचस्पी के कारणों को तभी स्पष्ट कर दिया था- भारत के लिए नाभिकीय रिएक्टरों की बिक्री के जरिए अमेरिका, पूरी तरह से ठप्प पड़े अपने नाभिकीय रिएक्टर उद्योग में नये प्राण फूंकना चाहता है। उधर भारत ने आधिकारिक रूप से यह बात कही है कि वह अमरीकी आपूर्तिकर्ताओं से 10,000 मेगावाट क्षमता के लिए रिएक्टर खरीदना चाहता है। बेशक, अमरीका का नाभिकीय उद्योग, भारत में अपने रिएक्टरों की बिक्री से अरबों डालर की कमाई तो करना चाहता है, लेकिन इसके लिए जोखिम जरा सा भी नहीं उठाना चाहता है। जोखिम-मुक्त पूंजीवाद की यही जानी-पहचानी अमरीकी शैली है। नाभिकीय जवाबदारी विधेयक यहीं से निकला है- भारतीय करदाताओं पर बोझ डालकर अमरीकी आपूर्तिकर्ताओं को भारी सब्सीडी दी जानी है, ताकि वे अपने रिएक्टर भारत में बेच सकें। इस विधेयक के जरिए जो नाभिकीय जवाबदारी व्यवस्था भारत पर थोपी जानी है, उसके संबंध में पूरी जानकारियां अब तक सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आ पायी हैं।

> नाभिकीय ईंधन का पुर्नशोधन का अधिकार, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। इसकी अनुमति के बिना भारत को एक बार फिर पहले के तारापुर प्रकरण जैसी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकरण में भारत को अपने रिएक्टरों के लिए ईंधन हासिल करने के लिए मारा-मारा फिरना पड़ रहा था, जबकि उसी संयंत्र का इस्तेमालशुदा ईंधन भारी खर्चा कर के दशकों तक सुरक्षित तालाबों में रखना पड़ा।

बहरहाल, इसके सबसे प्रमुख प्रावधान हैं: किसी दुर्घटना की सूरत में पूरी जवाबदारी करीब 45 करोड़ डालर पर सीमित करना, ऑपरेटरों की जवाबदारी 500 करोड़ रु0 पर सीमित करना और आपूर्तिकर्ताओं को हरेक कानूनी जवाबदारी से मुक्त करना। बेशक, इससे अलग ऑपरेटर तथा आपूर्तिकर्ता के बीच इस संबंध में कोई समझौता तो हो सकता है, लेकिन आपूर्तिकर्ता की कोई कानूनी जवाबदारी नहीं होगी। इस कानून के जरिए तय की जाने वाली 45 करोड़ डालर की अधिकतम सीमा और भारतीय ऑपरेटर के लिए 500 करोड़ की जवाबदारी की अधिकतम सीमा के बीच, मुआवजे की जितनी भी जवाबदारी होगी, वह जवाबदारी भारतीय शासन पर आएगी। दूसरे शब्दों में इस विधेयक के जरिए भारतीय शासन की भी जवाबदारी की एक खास सीमा तय करने की कोशिश की जा रही है।

यह सब हमारे देश के कानून का सीधे-सीधे अतिक्रमण करता है। 1987 में श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स से ओलियम गैस के रिसाव के प्रकरण में अपने फैसले में देश के सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि जो भी उद्योग ऐसे कारखाने चलाता है जिनसे खतरा पैदा हो सकता है, उनमें दुर्घटना की सूरत में पूरे नुकसान की, जिसमें पर्यावरण का नुकसान भी शामिल है, जवाबदारी संबंधित उद्योग की होगी। लेकिन, प्रस्तावित नाभिकीय जवाबदारी विधेयक इस व्यवस्था को ही पलटने की कोशिश करता है।

सभी जानते हैं कि नाभिकीय दुर्घटना से अरबों डालर की क्षति हो सकती है और इस सूरत में नाभिकीय जवाबदारी पर 45 करोड़ डालर की अधिकतम सीमा लगाए जाने की कोई तुक ही नहीं बनती है। भोपाल गैस दुर्घटना तक यह साबित कर चुकी है कि गैस पीड़ितों के लिए 47 करोड़ डॉलर का मुआवजा पूरी तरह से अपर्याप्त था। प्रस्तावित कानून के अंतर्गत, खुद भारतीय शासन की जवाबदारी समेत, सारी जवाबदारी पर 45 करोड़ डालर की अधिकतम सीमा लगाए जाने का अर्थ होगा, भारतीय जनता की कीमत पर, अमरीकी नाभिकीय उद्योग को सब्सीडी देना।

जवाबदारी के विभिन्न पहलू

विधेयक के अंतर्गत प्रस्तावित ऑपरेटर के लिए जवाबदारी की 500 करोड़ रु0 की अधिकतम सीमा, ऐसे उद्योगों के बीमा कवर के दायरे के भीतर-भीतर रहेगी। वास्तव में ऑपरेटरों की जवाबदारी इतनी कम रखकर सरकार, नाभिकीय संयंत्रों की सुरक्षा से ही खिलवाड़ करती नजर आती है।

सरकार की ओर से इस तरह के दावे भी किए गए हैं कि जवाबदारी के लिए प्रस्तावित 45 करोड़ डालर की अधिकतम सीमा, असैनिक नाभिकीय क्षति पर विएना कन्वेंशन से निकली है। लेकिन, सचाई यह है कि विएना कन्वेंशन में तो ऑपरेटर की जवाबदारी का न्यूनमत परिमाण तय किया गया है - (बाकी पेज 8 पर)

शिक्षा की दुकान ना खोलें

देश में जिस तरह के हालात शिक्षा व्यवस्था की है, उससे आने वाली पीढ़ी के ठीक नहीं कहा जा सकता। सरकार कहती है कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है, निश्चित ही यह बात सत्य है, लेकिन शिक्षा की गुणात्मकता का स्तर बिल्कुल खराब है। शिक्षा संस्थान केवल एक दुकान की तरह संचालित हो रहे हैं और महज डिग्री बांटने का ही काम इन संस्थाओं में किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा के नाम पर लाखों स्कूल खोले गए हैं, लेकिन वहां की दशा कैसी है और पढ़ाई का क्या हाल है, यह देखने वाला कोई नहीं है। तकनीकी शिक्षा के नाम पर छात्रों को डिग्री बांटी जा रही है, किन्तु उन्हें जो प्रशिक्षण मिलना चाहिए, उसका कहीं पता नहीं है।

सरकार शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव की दुहाई देती है और आगामी दिनों में शिक्षा व्यवस्था में और सुधार होने की बात कहती है, पर सवाल उठता है कि आखिर कब? दुनिया में कई देश हैं, जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था और अपनी गुणात्मक पाठ्यक्रम के कारण कहीं आगे निकल चुके हैं और भारत इस लिहाज से कहीं नहीं ठहरता नजर आता है। उच्च शिक्षा की बदहाली देश में किसी से छिपी नहीं है। उच्च शिक्षा के नाम पर भारत से प्रतिभाओं को लगातार पलायन हो रहा है। ऐसे प्रतिभाओं का पलायन कैसे रोका जाए तथा किस तरह इनकी शिक्षा की व्यवस्था देश में ही की जाए, इस दिशा में अब तक सही प्रया नहीं हो सके हैं।

यही कारण है कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के मामले में भारत अन्य विकसित देशों के मुकाबले पिछड़ता जा रहा है, इसका असर देश के विकास पर पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी देश के विकास की धुरी उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। भारत को विकासशील देशों की श्रेणी में रखा गया है। अगर शिक्षा व्यवस्था की यही बदहाली रही तो क्या कभी भारत विकसित देश बन पाएगा या वह विकास का सपना पूरा हो पाएगा, जो हर भारतवासी अपनी आंखों में संजोए बैठा है।

पिछले दिनों मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल का कहना था कि उच्च शिक्षा को और उन्नत करने के लिए देश में संचालित करीब छह सौ विश्वविद्यालय की संख्या को बढ़ाकर एक हजार कर दिया जाए। उनका तर्क था कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग उच्च शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं, परंतु प्रश्न यह उठता है कि उच्च शिक्षा से हर व्यक्ति को जोड़ने विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ाया जाना जायज है? देश में पहले जो विश्वविद्यालय संचालित हैं, उनकी हालत वैसे ही खराब है। संसाधन के अभाव में जिस स्तर की पढ़ाई होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती। शिक्षा का जो स्तर विकसित देशों अमेरिका, चीन, जापान, इंग्लैण्ड समेत कई अन्य देशों में है, वह गुणात्मक शिक्षा का अभाव भारत में नजर आता है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले दिनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सौ विश्वविद्यालयों की सूची जारी हुई, इसमें भारत का कहीं नाम नहीं था, जबकि अमेरिका, इंग्लैण्ड जैसे कई देशों के नाम रहे, जहां एक नहीं अनेक विश्वविद्यालयों के नाम इस सूची में शामिल थे। सरकार की मंशा केवल हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाने की हो सकती है, लेकिन सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जो संसाधन वे नए विश्वविद्यालयों के स्थापना में लगाना चाहते हैं, वह संसाधन उन नामचीन विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराए जाएं तो शायद उच्च शिक्षा में जो बदहाली बरसों से है, वह कुछ हद तक दूर हो जाए।

एक तथ्य और भी सामने आया है कि स्कूल शिक्षा तक जहां देश में छात्रों की संख्या करीब 22 करोड़ है, वह उच्च शिक्षा की लिहाज से देखें तो नगण्य है। महज 12 से 15 प्रतिशत छात्र ही उच्च शिक्षा की दहलीज पर चढ़ पाते हैं। कुल-मिलाकर यहां तर्क यही है कि सरकार को ऐसे संस्थानों को बढ़ावा देना चाहिए, जहां की शिक्षा का स्तर कमतर न हो। उच्च शिक्षा के विकेन्द्रीकरण का जो प्रयास सरकार करना चाह रही है, उसे आज की परिस्थिति

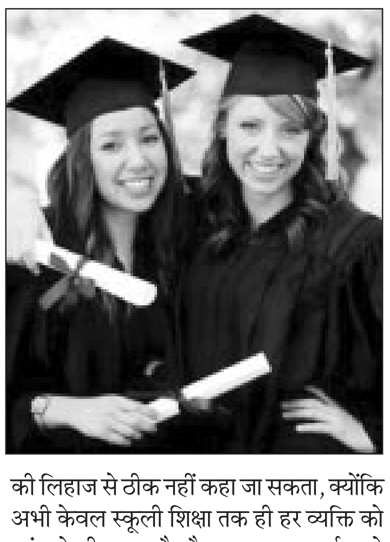

की लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी केवल स्कूली शिक्षा तक ही हर व्यक्ति को पहुंचाने की जरूरत है और सरकार यह कार्य करने में काफी हद तक सफल भी दिखाई दे रही है। आज अधिकांश गांवों में स्कूल खोले जा चुके हैं। हालांकि यह बात भी सत्य है कि इन स्कूलों में भी संसाधन और शिक्षक का अभाव होने से पढ़ाई का स्तर जैसे होना चाहिए, वह नहीं है। फिर भी सरकार स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है, लेकिन जो स्थिति फिलहाल उच्च शिक्षा की दिशा में है, उस पर अभी काफी काम किया जाना बाकी है।

सरकार ने 14 साल तक की उम्र के बच्चों में अनिवार्य शिक्षा का जो विधेयक लाया है और उसे सरकार आगामी 1 अप्रैल से लागू करने जा रही है, इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि बहुतायत में ऐसे बच्चे मिलते हैं, जो किसी न किसी कारण से या तो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, या फिर परिस्थितिवश बच्चों को पढ़ाई को बीच में ही छोड़नी पड़ती है। इस लिहाज से अनिवार्य शिक्षा विधेयक के लागू होने के बाद यह जरूरी हो जाएगा कि शिक्षा का हर किसी से नाता जुड़े। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हजारों बच्चों का पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं है।

इस तरह विधेयक बनने के बाद शाला त्यागी और पढ़ाई नहीं कर पाने वाले बच्चों की निश्चित ही सुध ली जाएगी। इसका भी लाभ होगा और समाज में एक ऐसा तबके का विकास होगा, जो शिक्षा की अहमियत को समझ सकेगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जो आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे और समाज को नई दिशा देने में उनकी भूमिका हो सकती हैं। देश में तकनीकी शिक्षा का भी बुरा हाल है, हजारों संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार देश में हर साल करीब तीन लाख छात्र इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस बात का भी खुलासा किया गया है कि इनमें से महज दस प्रतिशत ही इंजीनियरिंग की डिग्रीधारी छात्र नौकरी के काबिल होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तकनीकी शिक्षा के नाम जो संस्थान खोले गए हैं, क्या वह केवल डिग्री बांटने का काम कर रहे हैं? इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद छात्रों में एक अच्छी नौकरी की आस होती है, लेकिन उनका सपना चूर-चूर हो जाता है। कुछ को कहीं मौका मिल भी जाता है तो उसे उसकी डिग्री के अनुरूप तनख्वाह नहीं मिलती। इस तरह इन डिग्रियों को कागजों की तरह बांटने का क्या मतलब? कुछ इसी तरह के हालात तकनीकी शिक्षा के नाम पर खोले गए आईटीआई का भी है। हजारों आईटीआई देश में संचालित हैं और इन संस्थानों से लाखों छात्र कई व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेते हैं और उन्हें डिग्री भी मिल रही हैं। यहां यह बात अब तक शायद गौर नहीं की गई है कि इन लाखों छात्रों में से आखिर कितने को नौकरी मिल रही है, ऐसे में इसे केवल पढ़े-लिखे बेराजगारों की लंबी फेहरिस्त तैयार करने की कोशिश ही कहा जा सकता है।

मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा देश में पहले से बिगड़ी व्यवस्था दुरूस्ती की बात हर बार कही जाती है, लेकिन शिक्षा पर जितना बजट होना चाहिए, वह नहीं होने से इस पर कितना काम हो पाएगा, यह कह पाना मुश्किल है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल देती है, यह बात सरकार भी समझती है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सरकार का खजाना शिक्षा व्यवस्था की दुरूस्तीकरण के लिए कम पड़ जा रहा है। एक बात तो सरकार को समझनी होगी कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों की संख्या बढ़ाना ही इसका कारगर उपाय नहीं है। बेहतर शिक्षा के लिए यह जरूरी है कि इन संस्थानों की गुणवत्ता और संसाधन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

■ राजकुमार साहू
जांजगीर

काँव-काँव

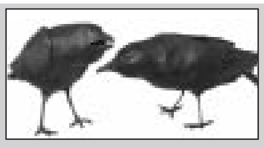

■ मायावती की इतनी फजीहत क्यों हो रही है?

■ ■ नवरात्रि में देवी को माला चढ़वाने के बजाय खुद माला पहनती है...

चौपाल

पुरातात्विक अवशेषों को संरक्षित किया जाए

छत्तीसगढ़ में यह पहला अवसर है जब पचराही के पुरातत्वीय स्थल पर शोध संगोष्ठी हो रही है। छत्तीसगढ़ का पचराही अचानक पुरातत्व संपदा के मामले में सुर्खियों में आया। विगत 3 वर्षों से जारी उत्खनन से अभी तक यहां से राजाओं के युग की स्थापत्य कला, क्षेत्रीय इतिहास के प्रमाण, मूर्तिकला एवं सभ्यता को बताने वाले पाषाण मिले हैं। मैं इसके लिए संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की रुचि एवं सक्रियता की चर्चा करना चाहूंगा, जिनके प्रयास से राज्य के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों में उत्खनन का कार्य चल रहा है।

इस वर्ष 5 उत्खनन के लिए स्वीकृति भारत शासन से भी मिल गई है। इस खुदाई से छत्तीसगढ़ की माटी में दबी, विशेष पुरातात्विक धरोहरों को प्राप्त किया जाएगा। पचराही में राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में देशभर के पुरातत्ववेत्ता आ रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के संपदा के साथ जैव विविधता, जनजातीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे। नि:संदेह छ.ग. के वैभव, महत्व को राष्ट्रीय मानचित्र में विशेष जगह सुरक्षित किया जा सकेगा। कुछ दिन पहले रायपुर के हीरापुर में 12वीं शताब्दी के कलचुरी की मूर्तियां प्राप्त हुई थीं। 12वीं शताब्दी की इन

Whisper to some one special...

You mean more to me than you will ever know

प्रतिमाओं को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा हैकि हीरापुर के उस काल में ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोगों का मूर्ति पूजा पर अटूट विश्वास था। खुदाई में मिली ये दुर्लभ देव प्रतिमाएं छ.ग. पुरातात्विक महत्व को बताती है। पुरातात्विक दृष्टि से भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में कराए जा रहे उत्खनन कार्यों में बिलासपुर जिले के मल्हार, महासमुंद में सरपुर, कबीरधाम में पचराही प्रमुख हैं। इन पुरातात्विक अवशेषों को सहेज कर रखने की जरूरत है।

-सतीश उपाध्याय, मनेन्द्रगढ़, कोरिया

आधी सड़क पर मिट्टी

रायपुर स्थित कोटा कॉलोनी में सड़क किनारे पाइप लगाने का काम किया जा रहा है, जहां पाइप लग गई है वहां मिट्टी के ढेर पूरे रास्ते पर जमा हो गई है जिसके कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है। आने-जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है, दुर्घाटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। हवा के द्वारा मिट्टी लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है, अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा लगता है हवा में उड़कर ही मिट्टी वहां से हटेगी या आगामी बरसात में ही पानी के द्वारा इसे बहा कर ले जाया जाएगा। सरकार के सभी विभाग सुस्त हो चुके हैं। **-कंचन रानी**

एक ग़ज़ल गुनगुनाएं

ख़ुली जो आँख तो वो था न वो ज़माना था
दहकती आग थी तन्हाई थी फ़साना था

ग़मों ने बाँट लिया मुझे यूँ आपस में
के जैसे मैं कोई लूटा हुआ ख़ज़ाना था

ये क्या के चंद ही क़दमों पे थक के बैठ गये
तुम्हें तो साथ मेरा दूर तक निभाना था

मुझे जो मेरे लहू में डुबो के गुज़रा है
वो कोई ग़ैर नहीं यार एक पुराना था

भरम ख़ुलूस-ओ-मोहब्बत का जाँ रह जाता
ज़रा सी देर मेरा प्यार तो आज़माना था

ख़ुद अपने हाथ से शहज़ाद उस को काट दिया
के जिस दरख़्त के टहनी पे आशियाना था

-फ़रहत शहज़ाद

Good Morning

Excuses r the easiest things 2 manufacture, & the hardest things & sell.

© www.dailychhattisgarh.com